पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस–विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 06 एवं एन0बी0डब्लू0 में 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 14–09–2022

दिनांक 13/14–09–2022 को रात्रि थाना बंथरा 01, बीबीडी 01, गोमतीनगर विस्तार 01, इन्दिरानगर 01, पारा 01, पीजीआई 01, एवं एन0बी0डब्लू0 में थाना गुडम्बा 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 06 एवं एन0बी0डब्लू0 में 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना मोहनललागंज–दिनांक 14.09.2022 को थाना मोहनलालगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री आलोक मिश्रा पुत्र स्व0 ओमप्रकाश मिश्रा निवासी लालपुर निगोहा लखनऊ ने थाना मोहनलालगंज पर सूचना दिया कि वादी की अंग्रेजी शराब ठेका की दुकान बैरीसालपुर निगोहा स्टेशन रोड़ पर स्थित है, वादी प्रतिदिन की भांति समयानुसार अपनी दुकान बंद करके घर चला गया था। आज दिनांक 14–09–2022 को रात्रि करीब 01.00 बजे वादी के पास ठेके के पड़ोसी का फोन आया और बताया कि कुछ लोग आपकी दुकान के बाहर है, और ताला तोड़ने जैसी आवाज आ रही है, आप जल्दी आ जाईये, इसके बाद वादी आनन–फानन में अपनी दुकान पर आया, और देखा कि वादी की दुकान का ताला टूटा हुआ था, और अन्दर का सामान व नकदी लगभग 10 से 15 हजार रुपये को अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर लिया गया था, इसके बाद सी0सी0टी0वी0 फुटेज में देखा गया तो ताला तोड़ने से लेकर चोरो के जाने तक की सारी घटना कैद हो गयी है। इस सूचना पर थाना मोहनलालगंज पर मु0अ0सं0 463/2022 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री राहुल त्रिपाठी थाना मोहनलालगंज द्वारा की जा रही है।

जानकीपुरम्:–दिनांक 14–09–2022 को थाना जानकीपुरम् द्वारा बताया गया कि वादी श्री आशीष यादव पुत्र श्री रमेश चन्द्र निवासी 645ए/192 मड़ियॉव गांव थाना जानकीपुरम् लखनऊ ने थाना जानकीपुरम् पर सूचना दिया कि दिनांक 12–09–2022 को समय करीब 10.30 बजे रात्रि को वादी खाना खाकर घर के बाहर बेस्ट मार्ट के पास टहलने आया था तभी अचानक सुनयोजित साजिश के तहत 03 गड़ियों चारपहिया से घेरकर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया, जिसमें अजीत राय उर्फ चन्दन ने वादी के सिर पर ईट से वार कर दिया, जिससे वादी के सिर पर गम्भीर चोटे आयी, तथा संजय कुमार सिंह ने कुल्हाड़ी से वादी को मारा, जिससे वादी को चोटे आयी, और अभिषेक पाण्डेय डन्डे से मार रहा था, तथा इनके साथ आये 04 से 05 अज्ञात साथियों ने वादी के ऊपर लाठी डन्डो से हमला कर दिया, शोर सुनकर आस–पास के लोगो द्वारा वादी को बचाया गया, लोगो के इकठ्ठा हो जाने पर यह लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग गये, संजय सिंह अपराधी किस्म का व्यक्ति है जो वादी को लगातार धमकी दे रहा है। इस सूचना पर थाना जानकीपुरम् पर मु0अ0सं0 291/2022 धारा 147/148/149/307/323/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री प्रमोद कुमार यादव द्वारा की जा रही है।